

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 725 / 124 हल्द्वानी दिनांक 27/9/2017

फोन/फैक्स-05946-220002 ई-मेल- dfchid@gmail.com

सेवा में,

अधिरासी अनियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल।

विषय:- जनपद-नैनीताल में विकास खण्ड, हल्द्वानी के ग्राम लक्ष्मपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/डमरीकरण एवं सूखी नदी पर 80 मीटर स्पान स्टील गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 1.08 हे० वन भूमि का गैर शानिकी कर्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्रांक 933/FP/UK/ROAD/20084/2016 दिनांक 12-09-2017।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का अवलोकन करें। जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्यक्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्र संख्या 08वीं/यू०सी०पी०/०६/२०१६/एफ०सी०/९४६ दिनांक ०७-०९-२०१७ के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के साथ प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के शर्तों के अनुपालन में निम्न मांग प्रेषित है।

1. शर्त संख्या ०१ में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। जिसके पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रखरखाव हेतु रू० ४,५२,२३१.०० (रू० चार लाख बावन हजार दो सौ इकत्तीस) मात्र का भुगतान कैम्पा में करना सुनिश्चित करें।
2. शर्त संख्या ०२ के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रू० ६,७५,०८०.०० (रू० छः लाख छिहत्तर हजार अस्सी) मात्र की धनराशि को "कैम्पा मद" में जमा कराना सुनिश्चित करें।
3. शर्त संख्या ०३ के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वधनबद्धता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि उच्च स्तर से एन०पी०वी० दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी दर से अतिरिक्त धनराशि जमा की जायेगी।
4. शर्त संख्या-०४ में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. शर्त संख्या-०५ के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सकेगा, सड़क के दोनों ओर तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में पौधा रोपण (Strip plantation) की जायेगी। इस आशय की वधनबद्धता प्रेषित करनी होगी।

अतः आप प्रतिपूरक वृक्षारोपण व एन०पी०वी० की धनराशि को कैम्पा मद में जमा कराये, साथ शर्तों के अनुसार वधनबद्धता प्रमाण पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक 725 / तत्कादिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निर्देशालय, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनाार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक ४२१ / १२-१ हल्द्वानी दिनांक १० अक्टूबर 2017

फोन/फैक्स:-05946-220002 ई-मेल:- dfohld@gmail.com

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल।

पत्रावली संख्या 2445
पत्रिका संख्या 29.11.17
दिनांक 17-10-17

विषय:- जपपद- नैनीताल में विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम लक्ष्मपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/ढांसीकरण एवं सूखी नदी पर 80 मीटर स्थान स्टील गार्डर हेतु के निर्माण हेतु 1.08 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 725/12-1 दिनांक 27.09.2017।
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से विषयक प्रकरण में आपसे क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन०पी०बी० की धनराशि की मांग व बचन बढ़ता का प्रमाण-पत्र प्रेषित करने हेतु लिखा गया था। पत्र के बिन्दु संख्या 1 में प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो धनराशि की मांग की गयी थी। वह प्रस्वात में सम्मिलित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना के अनुसार मांग की थी। प्रस्वात में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना वर्ष 10 वर्षों के रखरखाव हेतु वर्ष 17-18 की दर रू० 2,53,332/- प्रति हे० $\times 2.16$ हे० = 5,47,197.12 या 5,47,197/- (पाँच लाख सैंतालिस हजार एक सौ सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान कैम्पा मद करना सुनिश्चित करें तथा उपरोक्त पत्र द्वारा प्रेषित अन्य बिन्दुओं पर स्थिति यथावत रहेगी तथा पत्र में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

R.No- 2445/29.11.17 24-17-10-17

प्रति सं० ७०० प्रमाण ॥ को उपरोक्तानुसार मजदूरी
आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रति रखरखाव क्रमों,

पत्रांक ४२१ / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।